यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण पी.एम. जी.एस.वाई., देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण पी.एम.जी.एस.वाई., देहरादून के अवधि माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.09.2016 से 12.09.2016 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के **पूर्व** पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। इससे पूर्व कार्यालय में वर्ष 2012 में विषयक लेखपरीक्षा एवं वर्ष 2014 में ऑल इण्डिया निष्पादन समीक्षा की जा चुकी है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री एस.के. श्रीवास्तव 10.11.2010 से 07.03.2013
2. श्री पी.सी. गौड 08.03.2013 से 14.07.2014
3. श्री ए.के. दिनकर 15.07.2014 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग–2 अ	भाग–2 ब	पूरक लेखापरीक्षा
..... प्रथम लेखापरीक्षा			

4. सतत् अनियमिततायें – शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – वाहनों से सम्बन्धित अभिलेख

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	विवरण				
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	आरम्भिक अवशेष	260.05	21.16	(–) 91.22	(–) 108.17
2	वर्ष में कुल प्राप्तियां	131.43	442.60	506.99	148.91
3	कुल योग (1+2)	391.48	463.76	415.77	40.74
4	वर्ष के दौरान कुल व्यय	370.32	554.98	523.94	132.02
5	अंतिम अवशेष (3–4)	21.16	(–) 91.22	(–) 108.17	(–) 91.28

भाग–दो 'अ'

प्रस्तर 1 : अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ` 75.33 लाख का अनियमित व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा असंयोजित ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य हेतु प्रत्येक वर्ष धनराशि अवमुक्त की जाती है एवं राज्य सरकार द्वारा एन.पी.वी. एवं भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर मद के शासनादेशों के अनुसार (i) भूमि अधिग्रहण/एन.पी.वी. का भुगतान वहन किए जाने वाले अंश से सर्वेक्षण , परीक्षण, गुणवता नियंत्रण, कंसलटैंसी, सुपरविजन व्यय, निजी भूमि क्षतिपूर्ति, मुआवजा, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन. पी.वी. मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण एवं वन भूमि सीमांकन स्तम्भ, पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण, स्थापना आकस्मिक व्यय इत्यादित मदों पर किया जाना था, (ii) धनराशि जिन कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही कार्यों पर ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पी.एम.जी.एस.वाई, देहरादून के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि यू.आर.आर.डी.ए., पी.एम.जी.एस.वाई., देहरादून कार्यालय द्वारा ` 75.33 लाख से अतिरिक्त कार्यालय कक्ष का निर्माण ऐसे भवन पर किया गया जो भवन पंचायती राज विभाग के स्वामित्व में था तथा निर्माण से पूर्व उक्त विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति पत्र प्राप्त नहीं की गयी। अतिरिक्त कार्यालय कक्ष का निर्माएण किए जाने का मुख्य उद्देश्य कार्यालय में स्थानाभाव एवं मुख्य अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. गढ़वाल मण्डल का कार्यालय, जो यू.आर.आर.डी.ए. कार्यालय से दूर अन्यत्र ` 40,000 प्रतिमाह के किराए के भवन में संचालित हो रहा था, को एक ही भवन मे शिफ्ट करना था जिससे किराए की बचत भी की जा सके एवं कार्य सम्पादन में भी अपेक्षित **समन्वय स्थापित किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यू.आर.आर.डी.ए.** पंचायतीराज निदेशालय भवन के प्रथम तल की छत पर अतिरिक्त कार्यालय कक्ष/स्थान की व्यवस्था हेतु Light Guage Steel Frame Structure (एल..जी.एफ.एस.) भवन का निर्माण करने के लिए एक अल्पकालीन निविदा दिनांक 28.11.2014 में आमंत्रित की गई। निविदा दिनांक 15.12.2014 में खोली गई जिसमें दो फर्मों क्रमशः M/s LA CASA Infratech Pvt. New Delhi & M/s MGI India Pvt. Ltd., New Delhi द्वारा दरें दी गई। M/s MGI India Pvt. Ltd., New Delhi की दरें ` 1730/– प्रति वर्गफीट न्यूनतम होने के कारण ` 69.20 लाख का आगणन

तैयार कर विस्तृत औचित्य (Detailed Justification) के साथ दिनांक 30.12.2014 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली की टिप्पणी पर प्रस्तुत किया गया जिस पर सचिव, ग्राम्य विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2015 में पत्रावली की टिप्पणी पर ही स्वीकृति प्रदान की गई। अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दिनांक 19.01.2015 में M/s MGI India Pvt. Ltd. New Delhi के साथ एक अनुबंध गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथियां क्रमश : 19.01.2015 एवं 18.03.2015 निर्धारित थी। कार्य वास्तविक रूप से ` 75,32,662 व्यय[1] के साथ दिनांक 06.05.2015 में पूर्ण किया गया। अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.2015 में प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण हेतु न तो कोई शासनादेश प्राप्त किया गया एवं न ही वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की गई, सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अतिरिक्त कार्यालय कक्ष की स्वीकृति मात्र पत्रावली की टिप्पणी पर ही प्रदान की गई। कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से सड़क निर्माण हेतु एन.पी.वी. एवं भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर मद के अंतर्गत प्रासंगिक व्यय हेतु प्राप्त धनराशि में से ` 75,32,662 की धनराशि का व्यवर्तन कर उक्त निर्माण किया गया, जबकि प्रासंगिक व्यय मद से वेतन, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, साज–सज्जा इत्यादि व्यय ही किए जाने थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि मुख्य अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई. गढ़वाल मण्डल का कार्यालय निर्माण के पूर्ण होने के 15 माह पश्चात तक भी ` 40,000 प्रतिमाह के किराए के भवन में पूर्व स्थल पर ही संचालित हो रहा था, जबकि औचित्य में उक्त कार्यालय को यू.आर.आर.डी.ए. में शिफ्ट कर शासकीय धन की बचत होने का उल्लेख किया गया था।

उक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा न केवल दूसरे विभाग के स्वामित्व में अतिरिक्त कार्यालय कक्ष का निर्माण किया गया अपितु बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के ` 75.33 लाख का अनियमित व्यय किया गया, जो कि कार्यालय के अविवेकपूर्ण निर्णय का द्योतक है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने उत्तर में बताया कि पंचायती राज विभाग के सचिव एवं पी.एम.जी.एस.वाई के सचिव एक होने के कारण सचिव स्तर से स्वीकृति ली गई एवं निर्माण हेतु धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध एन.पी.वी. के अंतर्गत प्रासंगिक मद मं उपलब्ध धनराशि सचिव, ग्राम्य विकास की स्वीकृति के उपरांत व्यय की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के दूसरे विभाग के स्वामित्व में अतिरिक्त कार्यालय कक्ष का निर्माण

[1] ` 33,89,698 : मार्च 2015, ` 15,06,532 : अप्रैल 2015, ` 15,06,532 : जून 2015, ` 11,29,900 : फरवरी 2016।

किया जाना एवं वित्त विभाग की इसमें स्वीकृति प्राप्त न किया जाना पूर्णतः न केवल अनियमित की श्रेणी में आता है बल्कि शासनादेशों का भी खुला उल्लघंन है।

अतः अतिरिक्त कार्यालय कक्ष निर्माण में लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ` 75.33 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्ह पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय मुख्य अभियंता, यू.आर.आर.डी.ए., पी.एम.जी.एस.वाई., देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र